**आदेश के निष्पादन के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अधीन आवेदन पत्र -जिला उपभोक्ता विवाद निराकरण फोरम .................**

**निष्पादन आवेदन**

पत्र सं. .......................

सन ................. के मामले में

**अबक**  ....... आवेदक/परिवादी

बनाम

**कखग**  ...........विरोधी पक्षकारगण

आदरणीय जिला उपभोक्ता विवाद निराकरण द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित .....................के निष्पादन के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 27 के अधीन आवेदनपत्र -

अतिसादर पूर्वक प्रदर्शित करता है -

1. यह कि आवेदक-परिवादी बुक की गयी कार ...................... के ब्याज, खर्च एवम् प्रतिकर के साथ-साथ मूल बुक करने वाली रकम का प्रतिदाय हेतु परिवाद दाखिल किया देखे; विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध प्ररूप सं. .............. दिनांकित ...................... को।
2. यह कि आदरणीय जिला उपभोक्ता विवाद निराकरण फोरम: देखे; इसका आदेश दिनाकित ................... परिवाद को अनुज्ञात किया और विरोधी पक्षकारों को (आदेश का साक्षप्तसार को उपवर्णित करने का) निर्देश दिया। फोरम के कथित आदेश को इसके साथ उपाबद्ध किया जाता है और उपाबन्ध-1 के रूप में चिन्हांकित किया जाता है।
3. यह कि आवेदक परिवादी ने अन्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग के अनुपालन हेतु तारीख................... को अपने-अपने अधिवक्ता के जरिये या पक्षकार को फोरम के कथित आदेश की एक प्रतिलिपि भेजा लेकिन विरोधी पक्षकार असफल हो गया है और इस निष्पादन आवेदन पत्र को दाखिल किये जाने परम के कथित आदेश का अनुपालन करने की उपेक्षा की है। प्रत्येक पत्र एवम कट आफ पोस्टिंग की एक छाया प्रतिलिपि इसके साथ उपाबद्ध की जाती है तथा उपबन्ध-1 के रूप में चिन्हांकित किया जाता है।

**प्रार्थना**

अतएव, यह अति सादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह आदरणीय न्यायालय न्यायहित में विरोधी पक्षकार के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के धारा 25 के अधीन फोरम में निहित शक्तियों का आलम्ब लेकर के कथित आदेश के निष्पादन का आदेश किया जाय।

ऐसा आदेश या आदेशों को पारित करे जिसे / जिन्हें यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त एवम् उचित समझे।

आवेदक परिवादी

जरिये अधिवक्ता

स्थान -

तारीख -